न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 09/2025(GCMS : 2025/13)

रामप्रताप पुत्र श्री पन्नाराम जाति कुम्हार निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्रीमान् संदीप काकड़, उपखण्ड अधिकारी, राजस्व सूरतगढ़**
2. **कलवन्त** } पिसरान श्री हुणताराम अकवाम जाट साकिन
3. **शंकरलाल** } मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. **राजस्थान सरकार** जरिये तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़
5. **उप पंजीयक राजियासर तहसील सूरतगढ**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.08.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचाराधीन प्रकरण संख्या 206/2015 अनवानी रामप्रताप बनाम कलवन्त व अन्य में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है, अब उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह प्रकरण निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के स्थानान्तरण के कारण प्रकरण को खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 206/2015 अनवानी रामप्रताप बनाम कलवन्त व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:25:49 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला कलेक्टर